मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 30.07.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी (अभियुक्ता) को करायी गई आजीवन कारावास एवं ₹ 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत "पीयूष मोर्डिया" अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व "आर.पी.सिंह" पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना सन्तनगर पर पंजीकृत हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय एएसजे-III, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्ता को आजीवन कारावास एवं ₹ 30 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः 03.06.2023 को थाना सन्तनगर पर वादी श्यामधर पुत्र लौधर कोल निवासी पजरा थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर द्वारा नामजद अभियुक्ता के विरुद्ध अभियुक्ता द्वारा अपने ही 03 बच्चों को कुए में फेक कर हत्या करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना सन्तनगर पर मु0अ0सं0-51/2023 धारा 302,436 भादवि पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना सन्तनगर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी उदय प्रताप सिंह व श्रीधर पाल, विवेचक-उपनिरीक्षक कमल टावरी, उप निरीक्षक अरविन्द कुमार सरोज व उप निरीक्षक राम नरायण राम, कोर्ट मुहर्रिर- आरक्षी आशोतषचन्द्र व आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार तथा पैरोकार- उमेश यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय एएसजे-III शबीह जेहरा, जनपद मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्ता सुधा उर्फ चन्दा देवी पत्नी अमरजीत कोल निवासी पजरा थाना सन्तनगर जनपद मीरजापुर को अन्तर्गत धारा 302

भादवि में आजीवन कारावास व ₹ 30 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

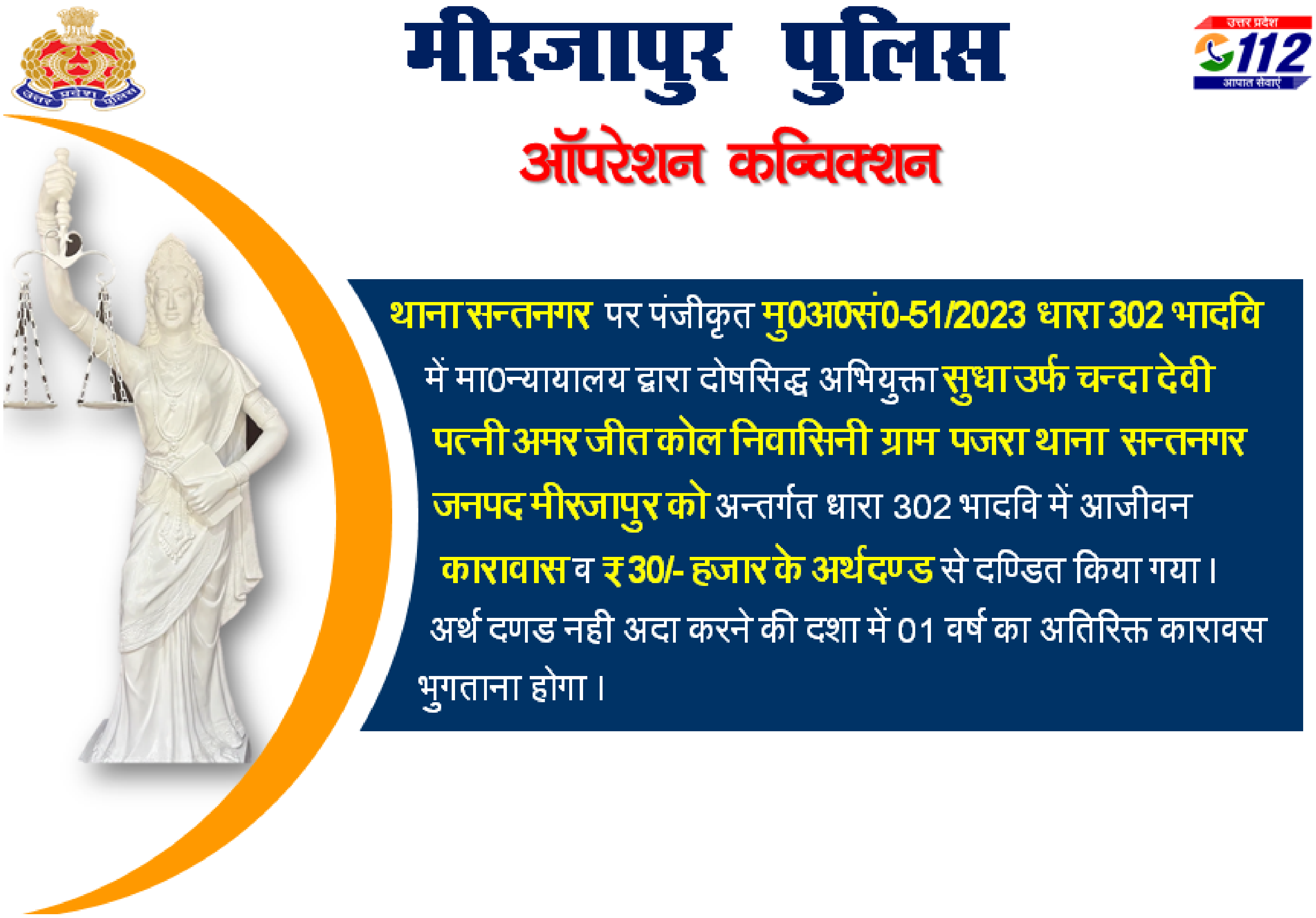

****